

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड

की सरकार

तथा

भारतीय गणराज्य की सरकार

के बीच

फिल्म सह-निर्माण करार

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड तथा भारतीय गणराज्य की सरकार  
("जिनका उल्लेख इसके पश्चात् पक्षकार के रूप में किया जाएगा") :

इस बात पर विचार करते हुए कि भागीदारी या अनुपूरक विशेषताओं जिसमें प्रत्येक फिल्म उद्योग का ढांचा, प्रत्येक देश की फिल्म संस्कृति और फिल्म निर्माण सुविधाओं की प्रत्येक देश में उपलब्धता की सीमा, फिल्मांकन के लिए एक उपयुक्त कुशल कार्यबल और स्थल शामिल हैं, के कारण प्रत्येक देश के फिल्म उद्योगों के एक साथ मिलकर कार्य करने की संभावना हैं ;

इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि ऐसी संभावना का विकास प्रत्येक पक्षकार के लिए विशेषकर उनके फिल्म उद्योगों की वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धा तथा उनकी फिल्म संस्कृतियों को बढ़ावा देने के संदर्भ में पारस्परिक लाभ हेतु होगा ;

राष्ट्रीय फिल्म स्तर वाली फिल्मों को प्रत्येक देश में उपलब्ध लाभों को ध्यान में रखते हुए ;

ऐसी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने की इच्छा करते हुए जो दोनों देशों में संस्कृति और विरासत की विविधताओं को प्रतिबिंबित, परिवर्धित और प्रकट करे ;

ऐसी फिल्मों के निर्माण और उनकी बढ़ी हुई सार्वजनिक उपलब्धता से होने वाले लाभों को स्वीकार करते हुए ; और

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस करार का उद्देश्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर दोनों पक्षकारों के लिए लाभ उत्पन्न करना है ।

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

## अनुच्छेद - 1 परिभाषाएं

(1) इस करार में :

“ अनुमोदित सह-निर्माण ” का अर्थ एक ऐसी सह-निर्मित फिल्म से है जिसकी स्थिति अनुच्छेद 2 के अनुसार अनुमोदित सह-निर्माण की है ;

“ सह-निर्माता ” का अर्थ किसी व्यक्ति, भागीदारी, निकाय, निगम या गैर निगमित संघ जो कि एक फिल्म का सह-निर्माता से है ;

‘सक्षम प्राधिकरण’ का अर्थ एक सरकारी विभाग या अन्य निकाय से है जो कि अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति को प्रदान करने हेतु आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक देश में संबंधित पक्षकार द्वारा नामित किए जाएंगे ;

“ फिल्म ” में किसी भी प्रकार से बनाई गई दृश्य बिंबों की एक श्रृंखला का कोई भी रिकॉर्ड शामिल है जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो चलचित्र के रूप में उस श्रृंखला के प्रदर्शन के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए है और जिसका रंगमंचीय तथा सार्वजनिक प्रदर्शन किए जाने की आशा है

“ भारतीय सह-निर्माता ” का अर्थ एक सह-निर्माता से है जो भारत में स्थापित और/अथवा निगमित है ; और

“ यू.के. सह-निर्माता ” का अर्थ एक सह-निर्माता से है जो इंग्लैंड ‘वेल्स’ स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड में स्थापित और/अथवा निगमित है ।

(2) यू.के. या भारत को लाभान्वित करने वाले फिल्म-निर्माण अंशदान के संदर्भों में विशेषतया उस देश में माल और सेवाओं पर व्यय जो सह-निर्माण से प्रत्यक्ष तौर पर परिणत होता है तथा उस देश में फिल्म निर्माण सुविधाओं या फिल्मांकन स्थलों के लिए गए प्रयोग शामिल हैं ।

(3) अनुच्छेद 2 (2) के अध्ययधीन, अनुलग्नक इस करार का एक अभिन्न अंग है । इस करार से संबंधित कोई भी उल्लेख अनुलग्नक में शामिल है ।

## अनुच्छेद 2 अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति

(1) सक्षम प्राधिकरण एक ऐसी फिल्म को अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति प्रदान कर सकते हैं जो यू.के. और भारत को उपयुक्त फिल्म निर्माण तथा सांस्कृतिक लाभ उपलब्ध कराती हो ; एवं इस करार में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती हो ।

(2) दोनों पक्षकार टिप्पणियों के तदनंतर आदान-प्रदान के जरिए इस करार के अनुलग्नक पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे। अनुलग्नक में निम्नलिखित आवश्यकताएं सम्मिलित होंगी :-

- (क) यू.के. और भारत को उपयुक्त फिल्म निर्माण तथा सांस्कृतिक लाभ ;
- (ख) सह-निर्माताओं की प्रकृति ;
- (ग) सह-निर्माताओं का न्यूनतम और अधिकतम वित्तीय अंशदान ;
- (घ) सह-निर्माताओं का फिल्म निर्माण में अंशदान ;
- (ङ.) विषय-वस्तु, भाषा, आभार, स्थल और कार्मिक ; तथा
- (च) पक्षकारों द्वारा वांछनीय समझे जाने वाले अन्य मामले।

(3) अनुलग्नक में निम्नलिखित की प्रक्रिया विधि के नियम भी शामिल होंगे :-

- (क) अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति हेतु एक आवेदन को अनुमोदन प्रदान करना ;
- (ख) अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति को वापस लेना ;
- (ग) दोनों पक्षकारों द्वारा वांछनीय समझे जाने वाले अन्य मामले।

(4) अनुलग्नक में पारस्परिक लाभों के आकलन हेतु मापदंड निर्धारित करने के लिए प्रावधान शामिल होगा।

(5) दोनों पक्षकारों द्वारा उनकी संबंधित विधायी और सांविधानिक प्रक्रिया विधियों के पूर्ण होने को एक दूसरे को अधिसूचित करते ही अनुलग्नक लागू हो जाएगा।

(6) एक सक्षम प्राधिकरण को दिए गए आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए यह इस अनुच्छेद के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन के अनुसार इन आवश्यकताओं को लागू करेगा।

(7) प्रत्येक सक्षम प्राधिकरण समय-समय पर मार्गदर्शन प्रकाशित कर सकता है जिसमें ऐसी सूचना और सलाह शामिल होगी जिसे वह निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त समझता है :-

- (क) सक्षम प्राधिकरण के पास आवेदन कैसे भेजे जाने चाहिए, और
- (ख) इस करार का प्रचालन और निर्वचन।

(8) ऐसा मार्गदर्शन विशेषतया यह निर्धारण करेगा कि :

- (क) अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति प्रदान करने हेतु आवेदनों पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) इस करार द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखे जाने वाले कारक।

(9) इस करार में ऐसा कुछ नहीं है जो यू.के. या भारत के संबंधित प्राधिकरणों को एक फिल्म, जिसे अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति प्रदान की गई है, के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति के लिए बाध्य करता है।

### अनुच्छेद 3 लाभ

(1) इस करार के अन्तर्गत यह अनुच्छेद ऐसी किसी भी फिल्म के संबंध में लागू होता है जिसकी स्थिति अनुमोदित सह-निर्माण की है।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपने संबंधित विधान के अनुसार यू.के. संबंधित यूरोपियन समुदाय के विधान हेतु एक अनुमोदित सह-निर्माण के निर्माण हेतु किसी आवश्यक उपस्कर का किसी आयात या निर्यात शुल्क एवं कर के बिना अस्थायी आयात और निर्यात करने की अनुमति देगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार एक अनुमोदित सह-निर्माण के निर्माण या प्रचार में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को फिल्म के निर्माण या प्रचार के दौरान यू.के. और भारत में जैसा भी मामला हो, आने तथा यहां रहने की अनुमति देगा बशर्ते वे प्रवेश रिहाइश और रोजगार से संबंधित विधान के अनुपालन की आवश्यकता का पालन करें।

(4) प्रत्येक पक्षकार इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अन्तर्गत आने वाली फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म मानेगा ताकि उसे उस देश द्वारा राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदान किए जाने वाला कोई भी लाभ मिल सके।

(5) एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक राष्ट्रीय फिल्म के रूप में एक अनुमोदित सह-निर्माण के लिए किस पक्षकार द्वारा श्रेय लेने के लिए दावा किया जाए, इस प्रश्न का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा :-

(क) निम्नलिखित में से जिसका अंशदान अधिक हो, के संदर्भ से :-

(i) यू.के. सह-निर्माता या सह-निर्माताओं (दोनों शामिल) द्वारा किया गया कुल वित्तीय अंशदान, अथवा

(ii) भारतीय सह-निर्माता या सह-निर्माताओं (दोनों शामिल) द्वारा किया गया कुल वित्तीय अंशदान, अथवा

(ख) यदि संबंधित कुल वित्तीय अंशदान समान हैं तो यू.के. या भारत जिससे भी फिल्म का निर्देशक सबसे ज्यादा नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है, के संदर्भ से।

#### अनुच्छेद 4 प्रवर्तन से पहले और बाद में निर्माणाधीन फिल्में

( 1 ) इस करार का प्रवर्तन होने से पहले भी एक फिल्म अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति प्रदान किए जाने हेतु पात्र होगी, बशर्ते ;

( क ) फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी का पहला दिन करार के प्रवर्तन की तारीख से 18 महीने पहले से अधिक नहीं है, और

( ख ) फिल्म का निर्माण करार का प्रवर्तन होने की तारीख के बाद पूरा होता है ।

( 2 ) एक अनुमोदित सह-निर्माण, करार के समाप्त होने की तारीख या उसके बाद इस करार के अन्तर्गत उपलब्ध कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बना रहेगा, बशर्ते :

( क ) उस तारीख से पहले सक्षम प्राधिकरणों ने अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत अनुमोदित सह-निर्माण स्थिति के लिए फिल्म को अपेक्षित अनुमोदन दे दिया है ।

( ख ) करार के समाप्त होने की तारीख से पहले उसकी मुख्य फोटोग्राफी शुरू हो गई, और

( ग ) करार के समाप्त होने की तारीख से बारह महीनों की अवधि के समाप्त होने से पहले फिल्म का निर्माण पूरा हो गया हो ।

#### अनुच्छेद 5 समीक्षा और संशोधन

( 1 ) दोनों पक्षकार करार को समीक्षाधीन रखेंगे और जहां वे उपयुक्त समझें यह सिफारिश कर सकते हैं कि परिवर्तन किए जाएं ।

( 2 ) दोनों पक्षकार करार की मौजूदा स्थिति पर वार्षिक आधार पर एक-दूसरे को लिखित में सूचित करेंगे ।

( 3 ) दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत टिप्पणियों के आदान-प्रदान के जरिए किसी भी समय करार में संशोधन कर सकते हैं ।

( 4 ) दोनों पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित विधायी और सांविधानिक प्रक्रिया विधि के पूरा होने को एक-दूसरे को अधिसूचित करते ही ऐसा कोई भी संशोधन लागू हो जाएगा ।

#### अनुच्छेद 6 अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व


( 1 ) इस करार के प्रावधान, यूरोपियन सामुदायिक कानून से उत्पन्न होने वाले यूनाइटेड किंगडम के दायित्वों के संबंध में दोनों पक्षकारों के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति पूर्वाग्रह रहित हैं ।

## अनुच्छेद 7 प्रवर्तन

- (1) यह करार दोनों पक्षकारों के अपने संबंधित विधायी और सांविधानिक प्रक्रिया विधि के पूर्ण होने को एक-दूसरे को अधिसूचित करते ही प्रवर्तित हो जाएगा ।
- (2) कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को कम से कम छह माह का पूर्व लिखित नोटिस देकर किसी भी समय करार को समाप्त कर सकता है ।
- (3) यह करार इस अनुच्छेद के पैरा (2) के अन्तर्गत दी गई नोटिस की अवधि खत्म होने पर समाप्त हो जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में दिनांक 05 दिसम्बर, 2005 को अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए जो समान रूप से अधिप्रमाणित हैं । निर्वचन में किसी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।



भारत गणराज्य सरकार की  
ओर से



यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और  
उत्तरी आयरलैंड की सरकार की ओर से



**भारत गणराज्य  
और  
इटली गणराज्य सरकार  
के बीच  
श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार**

भारत गणराज्य की सरकार और इटली गणराज्य सरकार, जिनका उल्लेख इसके पश्चात् “पक्षकार” के रूप में किया जाएगा,

इस बात पर विचार करते हुए कि दोनों देशों के बीच श्रव्य-दृश्य संबंधों का विकास करने और विशेषकर फिल्म, टेलीविजन और दृश्य सह-निर्माणों के लिए एक ढाँचा स्थापित करना वांछनीय है;

इस तथ्य को जानते हुए कि गुणात्मक सह-निर्माणों से दोनों देशों के फिल्म, टेलीविजन और दृश्य निर्माण एवं वितरण उद्योगों के अधिक प्रसार तथा पारस्परिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विनियमों के विकास में मदद मिल सकती है ;

इस बात से आश्वस्त होकर कि इन विनियमों से दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी ;

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

**अनुच्छेद-1**

इस करार में, यदि अन्यथा करार की आवश्यकता न हो ;

(i) एक “सह-निर्माण” एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म वीडियो टेप अथवा वीडियो डिस्क पर लंबाई के निरपेक्ष, फीचर फिल्म, वृत्तचित्र, विज्ञान फिल्म, एनीमेशन फिल्म और वाणिज्यिक फिल्म शामिल होगी जिसको सिनेमा में, टेलीविजन पर अथवा वीडियो रिकॉर्डर पर प्रदर्शित किया जा सकता है । इन फिल्मों को दोनों देशों के संयुक्त निवेश से और दोनों देशों के निर्माताओं द्वारा इस करार के अंतर्गत भारत और इटली के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त मान्यता-शर्तों के अनुसरण में बनाया जाएगा । दोनों पक्षकारों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा मौजूदा करार में श्रव्य-दृश्य निर्माण और वितरण के नए रूपों को शामिल किया जाएगा ।

(ii) वर्तमान करार के अंतर्गत प्रारंभ की जाने वाली सह-निर्माण परियोजनाओं को निम्नलिखित प्राधिकरणों द्वारा मान्यता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए, इसके पश्चात् इन प्राधिकरणों का उल्लेख “सक्षम प्राधिकरणों” के रूप में किया जाएगा:

- (क) इटली में : सांस्कृतिक संपदा एवं कार्यकलाप मंत्रालय, मनोरंजन एवं खेलकूद विभाग, सिनेमा महाप्रबंधन द्वारा ;  
और
- (ख) भारत में : सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ।
- (iii) इस करार की शर्तों के अंतर्गत निर्मित "सह-निर्माण" को दोनों देशों में राष्ट्रीय निर्माण माना जाएगा जिसको राष्ट्रीय निर्माण के रूप में मिलने वाले सभी लाभ उपलब्ध होंगे लेकिन इस संबंध में वितरण एवं निर्माण हेतु अनुप्रयोज्य राष्ट्रीय कानून का अनुपालन किया जाना होगा । तथापि, यह लाभ उस देश से निर्माता को प्राप्त होंगे जो कि उन्हें अनुदान देता है ।

### अनुच्छेद-2

- (i) दोनों देशों के सह-निर्माता, एक-दूसरे की क्षमता जिसमें उनका व्यावसायिक ज्ञान, संगठनात्मक क्षमता, वित्तीय समर्थन और व्यावसायिक प्रतिष्ठा शामिल हैं, के बारे में स्वयं निर्णय लेंगे ।
- (ii) भारत और इटली की सरकारें किसी भी देश के निर्माताओं के बारे में निर्णय लेने के संबंध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे ।

### अनुच्छेद-3

- (i) इस करार के अंतर्गत कोई भी लाभ सह-निर्माण के लिए केवल तभी उपलब्ध होगा जबकि कुल लागत का कम से कम 20% तक, सृजनात्मक एवं अन्य सामग्री सहित वित्त, सामग्री एवं प्रबंधन निवेश किसी एक देश के सह-निर्माता द्वारा किया गया हो बशर्ते कि विशिष्ट-प्रतिशत अंशदान के बारे में स्वयं निर्माताओं के बीच निर्णय लिया जाएगा ।
- (ii) उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, दोनों पक्षकार यथावश्यकतानुसार प्रतिशत में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए किसी भी समय लिखित में संयुक्त निर्णय ले सकते हैं ।

### अनुच्छेद-4

- (i) सह-निर्माण के निर्माता इटली को यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में सौंपे गए कर्तव्यों के किसी भी प्रकार के अनुपालन के अध्यक्षीन सह-निर्माण के निर्माता इटली या भारत के नागरिक या स्थायी निवासी होंगे ।
- (ii) सह-निर्माण की सख्त जरूरत होने की स्थिति में उपरोल्लिखित नागरिक या स्थायी निवासी के अलावा व्यक्तियों को सह-निर्माण का स्वरूप खोए बिना कार्य में लगाए जाने की



अनुमति है बशर्ते ऐसे व्यक्ति को शामिल करने के कारण स्पष्ट करते हुए दोनों देशों की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाती है ।

#### अनुच्छेद-5

- (i) लाइव एक्शन शूटिंग और एनीमेशन वर्क जैसे कि स्टोरीबोर्ड, ले आउट, की-एनीमेशन, मध्यवर्ती प्रक्रिया और ध्वनि रिकार्डिंग को इटली या भारत में बारी-बारी से सिद्धांत रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए ।
- (ii) तथापि, सह-निर्माण में भाग न लेने वाले किसी देश के अंदर या बाहर की शूटिंग को प्राधिकृत किया जा सकता है यदि पटकथा अथवा अभिनय में ऐसी कोई अपेक्षा की गई है और इटली और भारत के तकनीशियन शूटिंग में भाग लेते हैं ।
- (iii) प्रयोगशाला संबंधी कार्य इटली या भारत में किया जाएगा यदि यह तकनीकी रूप में ऐसा करना असंभव न हो, जिस मामले में सह-निर्माण में भाग न लेने वाले देश में प्रयोगशाला संबंधी कार्य को करने के लिए दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है ।

#### अनुच्छेद-6

- (i) सह-निर्माण का अंग्रेजी या इतालवी या किसी अन्य भारतीय भाषा अथवा बोली में मूल साउंडट्रैक होगा जिसकी इनमें से किसी भी भाषा में डबिंग की जा सकती है ।
- (ii) यदि पटकथा में ऐसा आवश्यक है तो प्राधिकरणों की अनुमति से कुछेक परिसंवादों के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है ।
- (iii) यह आवश्यक होगा कि सह-निर्माण की डबिंग या उसके उपशीर्षक तैयार करने का कार्य भारत या इटली में किया जाएगा । भारतीय भाषाओं में डबिंग करने या उपशीर्षक तैयार करने का कार्य भारत में तथा इतालवी भाषा में डबिंग या उपशीर्षक तैयार करने का कार्य इटली में निष्पादित किया जाना चाहिए और अंग्रेजी में डबिंग करने या उपशीर्षक तैयार करने का कार्य दोनों सह-निर्माताओं के बोच हुए करार पर निर्भर करते हुए इटली या भारत में किया जा सकता है ।

#### अनुच्छेद-7

- (i) एक सह-निर्मित फिल्म में दो नेगेटिव अथवा एक नेगेटिव और एक ड्यूप नेगेटिव होगा या दोनों सह-निर्माताओं के बीच हुई सहमति के अनुसार होगा, साथ ही प्रतियाँ तैयार करने के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि ट्रैक होंगे । प्रत्येक सह-निर्माता के पास एक अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट, एक ड्यूप पॉजिटिव और एक अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि ट्रैक होगा और उसको प्रतियाँ बनाने का अधिकार प्राप्त

होगा । इसके साथ-साथ, सह-निर्माताओं के अनुमोदन से दोनों में से कोई भी निर्माता उपरोल्लिखित सामग्री के फुटेज का प्रयोग अन्य प्रयोजन के लिए कर सकता है । इसके अलावा, प्रत्येक सह-निर्माता को दोनों सह-निर्माताओं के बीच तय की गई शर्तों के अनुसरण में मौलिक निर्माण सामग्री सुलभ होगी ।

#### अनुच्छेद-8

(i) इटली और भारत दोनों, प्रत्येक सह-निर्माण संविदा में निर्धारित निदेशकों, अभिनेताओं, निर्माताओं, लेखकों, तकनीशियनों तथा अन्य कार्मिकों के लिए किसी भी एक देश में प्रवेश व अल्पावास को अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुसार सुविधाजनक बनाएंगे तथा उपस्करों का आयात भी अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुसार किया जाएगा ।

#### अनुच्छेद-9

(i) सह-निर्माताओं द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी सिद्धांत रूप में उनके संबंधित अंशदानों के अनुपात में होगी और सह-निर्माताओं के बीच हुए करार में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए । प्रत्येक सह-निर्माता के अंशदान के बारे में अनुच्छेद 3 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर पारस्परिक निर्णय लिया जा सकता है ।

#### अनुच्छेद-10

(i) अल्प अंशदान वाले देश की भाषा में फिल्म के रूपांतरण के निर्माण के लिए अपेक्षित सभी सामग्री के प्राप्त होने के पश्चात् 60 (साठ) दिन के भीतर अल्प अंशदान वाला सह-निर्माता अपने अंशदान पर किसी बकाया राशि का भुगतान अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता को करेगा । अल्प अंशदान वाले सह-निर्माता के प्रति अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता के भी यही दायित्व होंगे ।

(ii) इस अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहने से सह-निर्माण का लाभ नहीं मिल सकेगा । इस अपेक्षा को सह-निर्माताओं के बीच तैयार की गयी संविदा में निरपवाद रूप से परिलक्षित किया जाएगा ताकि इस करार के अंतर्गत परियोजनाओं को मान्यता प्राप्त हो सके ।

#### अनुच्छेद-11

दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरणों द्वारा किसी फिल्म के सह-निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रकार निर्मित फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में उन पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

## अनुच्छेद-12

- (i) जब किसी सह-निर्मित फिल्म का निर्यात किसी ऐसे देश के लिए किया जाता है जिसकी अपनी कोटा संबंधी सीमाएं हैं :
- (क) सिद्धांत रूप में, सह-निर्मित फिल्म को प्रमुख निवेश वाले देश के कोटे में शामिल किया जाएगा ;
- (ख) यदि दोनों सह-निर्माताओं ने समान निवेश किया है, तो दोनों पक्षों के सह-निर्माता पारस्परिक परामर्श के जरिए उक्त कोटे के बारे में निर्णय लेंगे ताकि सह-निर्मित फिल्म को उस देश के कोटे में शामिल किया जा सके जो कि फिल्म के निर्यात के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकता हो ;
- (ग) यदि अभी भी कठिनाई होती हो, तो सह-निर्मित फिल्म को उस देश के कोटे में शामिल किया जाएगा जिसका निर्देशक एक राष्ट्रिक हो ।
- (ii) उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद यदि सह-निर्माणकारी देशों में से एक देश की फिल्मों को किसी ऐसे देश में अप्रतिबंधित प्रवेश की सुविधा प्राप्त हो जिसमें कोटा संबंधी विनियम हों, तो इस करार के अंतर्गत किए गए सह-निर्माण को आयातकर्ता देश में, उस देश के किसी अन्य राष्ट्रीय निर्माण के रूप में अप्रतिबंधित प्रवेश का हक प्राप्त होगा यदि वह देश इस बात के लिए सहमत हो।

## अनुच्छेद-13

- (i) किसी भी सह-निर्माण को प्रदर्शित किए जाने पर अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता के मूल अथवा सह-निर्माताओं के बीच हुए एक करार के अनुसार उसे “इटली-भारत सह-निर्माण” अथवा “ भारत- इटली सह-निर्माण” के रूप में अभिज्ञात किया जाएगा ।
- (ii) यह शीर्षक श्रेय-सूची, सभी वाणिज्यिक विज्ञापन और संवर्द्धनात्मक सामग्री में तथा सह-निर्माण को कभी भी दिखाए जाने पर दृष्टिगत होगा ।

## अनुच्छेद-14

- (i) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रस्तुति के मामले में और यदि सह-निर्माता अन्यथा सहमत नहीं होते हैं तो एक सह-निर्माण अधिक अंशदान वाले सह-निर्माता के देश द्वारा अथवा सह-निर्माताओं की समान वित्तीय सहभागिता की स्थिति में, उस देश द्वारा किया जाएगा जिसका निर्देशक एक राष्ट्रिक है ।

(ii) चलचित्रिकीय अथवा श्रव्य-दृश्य कार्यों को प्रदत्त पुरस्कार, अनुदानों, प्रोत्साहनों और अन्य लाभों में, सह-निर्माण संविदा में निर्धारित प्रावधान के अनुसरण में तथा लागू कानून के अनुरूप, सह-निर्माताओं के बीच हिस्सेदारी की जा सकती है ।

(iii) इस करार द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार निर्मित चलचित्रिकीय और दृश्य-श्रव्य कार्यों के लिए किसी तीसरे देश द्वारा प्रदत्त माननीय विशेष उल्लेखों अथवा ट्रॉफियों जैसे ऐसे सभी पुरस्कारों को जो नकद रूप में नहीं हैं, प्रमुख सह-निर्माता द्वारा न्यास में अथवा सह-निर्माण संविदा में निर्धारित शर्तों के अनुसार रखा जाएगा ।

#### अनुच्छेद-15

(i) दोनों देशों के सक्षम प्राधिकरण इटली और भारत में लागू कानूनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए सह-निर्माणों के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमों की, बाद में टिप्पणियों के विनिमय के माध्यम से, संयुक्त रूप से स्थापना करेंगे ।

#### अनुच्छेद-16

(i) दोनों देशों में लागू कानून और विनियमों में उपबन्धों, इटली के मामले में यूरोपीय संघ के मानदंडों के तहत दायित्वों सहित, को छोड़कर इटली में भारतीय फिल्म, टेलीविजन और वीडियो निर्माण के आयात, वितरण और प्रदर्शन पर अथवा भारत में इतालवी फिल्म, टेलीविजन और वीडियो निर्माणों के आयात, वितरण और प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे । जहां तक इटली और यूरोपीय संघ के अन्य देशों में माल के निर्बाध रूप से परिचालन का संबंध है, यूरोपीय संघ के मानदंडों में निहित दायित्व को पूरा किया जाएगा ।

#### अनुच्छेद-17

(i) इस करार के कार्यान्वयन के संबंध में किसी विभेद या विवाद का समाधान आपसी परामर्श और बातचीत से किया जाएगा । यह उन सह-निर्माताओं के अधिकार को विमुक्त नहीं करता है जो कानूनी उपचारों जिनमें समामेलन, मध्यस्थता और विवाचन जैसे उपचार शामिल हो सकते हैं, की मांग करते हैं ।

(ii) इस करार से उत्पन्न होने वाले अधिकार उस तीसरे पक्षकार (रों) के मामले में लागू नहीं होंगे जो इस करार के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं ।

(iii) एक उपयुक्त संयुक्त आयोग इस करार के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है । सैद्धांतिक रूप से संयुक्त आयोग की एक बैठक वैकल्पिक रूप से दो देशों में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार होगी । तथापि, यह बैठक एक अथवा दोनों प्राधिकरणों के अनुरोध पर असाधारण सत्रों में विशेष रूप से एक देश अथवा दूसरे देश में फिल्म टेलीविजन और वीडियो उद्योगों को शासित

करने वाले विधान अथवा विनियमनों में प्रमुख संशोधनों के मामले में, अथवा जहां इस करार के अनुप्रयोजन से विभिन्न कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं, में होगी और इस करार को दो देशों के प्राधिकरणों को इस करार के अनुप्रयोजन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई का समाधान करने और दोनों देशों के सर्वोत्तम हित में इसे सुधारने के उद्देश्य से दोनों देशों के प्राधिकरणों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त आयोग की सिफारिशें दोनों सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

### अनुच्छेद-18


(i) वर्तमान करार को तभी लागू किया जाएगा जबकि प्रत्येक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को यह सूचित कर दिया हो कि इसकी आंतरिक अनुमोदन प्रक्रिया संपन्न हो गयी है।


(ii) यह लागू होने की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा; समान अवधियों के लिए इस करार का स्वतः नवीकरण होता रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई पक्षकार अंतिम तारीख के 6 (छह) माह पूर्व इस करार को समाप्त करने की लिखित में सूचना न दे दे।

(iii) सक्षम प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्रदत्त और किसी एक पक्षकार द्वारा इस करार को समाप्त करने की सूचना देने के समय पर चल रहे सह-निर्माणों को तब तक पूर्ण लाभ मिलता रहेगा जब तक कि इस करार के उपबंधों को संपन्न न कर लिया गया हो। इस करार को समाप्त होने के पश्चात् इसकी शर्तें संपन्न सह-निर्माणों से राजस्व के बंटवारे के संबंध में लागू रहेंगी।

(iv) रोम में दिनांक 13 मई, 2005 को इतालवी, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए जो समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। निर्वचन में किसी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

जिसके साक्ष्य में, संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

  
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

  
इटली गणराज्य की सरकार की ओर से

ह./-

ह./-